न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :—श्रीराजेन्द्र कुमार RAS

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट.

अनुवान रावतनाथ आदि **बनाम** राजस्थान सरकार आदि

वादपत्र संख्या 88 वर्ष 2023

निर्णय **दिनांकः— 18.06.2025**

1. रावतनाथ पुत्र हिरनाथ जति जोगी निवासी सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
2. मनीराम पुत्र रावतनाथ जाति जोगी निवासी सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
3. सुखानाथ पुत्र रावतनाथ जाति जोगी निवासी सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
4. नीमनाथ पुत्र रावतनाथ जाति जोगी निवासी सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू
2. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती हस्ब दफा 88 आर.टी. एक्ट सपठित धारा 5 राज. उपनिवेशन अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

—::**निर्णय**::—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में कृषिभूमि ख. नं. 956/430 तादादी 11.1655 हैक्टेयर तथा ख. नं. 1029/1015 तादादी 0.1999 हैक्टेयर, ख. नं. 1030/1015 तादादी 0.1839 हैक्टेयर तथा ख. नं. 954/430 तादादी 0.4932 हैक्टेयर, तथा ख. नं. 955/430 तादादी 0.4932 हैक्टेयर रोही मौजा सारायण तहसील तारानगर में स्थित है जो वादीगण की खातेदारी कृषिभूमि जिसे वादीगण काश्त कर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। उक्त कृषिभूमि के पूर्व ख. नं. 430/431 तादादी 50—00 बीघा वाके रोही सारायण थी जो कि वादी सं. 1 रावतनाथ के नाम नाम से खातेदारी में दर्ज थी बाद वादी सं. 1 रावतनाथ ने अपने तीनो लड़के वादी सं.1 ता 3 को उपहारनामे के आधार पर दे दी थी जिसका विभाजन होकर उक्त कृषिभूमि वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हुई यही कृक्षिभूमि ही विवादित है संलग्न वाद जमाबन्दी पेश है। उपरोक्त कृषिभूमि वादी रावतनाथ के पिता हिरनाथ के नाम से खरीद की हुई थी जो कि सन् 1965 में खरीद की थी वादी के पिता हिरनाथ ने 50 बीघा कृषिभूमि खरीद की थी जिसके ख. न. पूर्व में 196 थे बाद में हिरनाथ की मृत्यु के बाद उक्त कृषिभूमि रावतनाथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज हो गया

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

था बाद में रावतनाथ ने अपनी कृषिभूमि में से अपने पुत्र मनीराम को 0.4932 हैक्टेयर उपहारनामा के आधार पर दे दी जिसके ख. नं. बाद में 1029/1015 व 1030/1015 पैमुद हो गये तथा रावतनाथ ने अपने पुत्र सुखानाथ को 0.4932 हैक्टेयर भूमि को दे दी जिसके ख. नं. 954/430 पैमुद हो गये उसके बाद रावतनाथ ने अपने पुत्र नीमनाथ को उपहारनामा के आधार 0.4933 हैक्टेयर कृषिभूमि उपहारनामा के आधार पर दे दी जिसके ख.नं. 955/430 पैमुद हो गये शेष कृषिभूमि रावतनाथ के हिस्से में 11.1650 हेक्टेयर रही जिसके ख. नं. 956/430 पैमुद हुए है। जिनकी नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। हिरनाथ ने उपरोक्त कृषिभूमि को जब खरीद किया था उस समय 50–00 बीघा कृषिभूमि खरीद की थी हिरनाथ की मृत्यु के बाद उसके एकमात्र पुत्र रावतनाथ के नाम उक्त 50–00 बीघा कृषिभूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज हो गई तथा इसमें से कुछ भूमि रावतनाथ ने अपने लड़के मनीराम, सुखनाथ, नीमनाथ को जरिये उपहार नामा दे दी थी जो कि उक्त कृषिभूमि 50–00 बीघा ही व 50–00 बीघा कृषिभूमि पर ही वादीगण काबिज काश्तकार है। नकल जमाबन्दी में ही 50–00 बीघा कृषिभूमि अंकित है। जो कि सही है। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 व राजस्व कर्मचारियों ने मिलकर उपरोक्त कृषिभूमि तहसील कार्यालय के राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा, चुनड़ी में कुल 42–00 बीघा कृषिभूमि है दर्शाई गई इस प्रकार 8–00 बीघा कृषिभूमि राजस्व रिकॉर्ड नक्शा व चुनड़ी में कम दर्शाई गई है। जो गलत है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड व चुनड़ी में कुल 50–00 बीघा कृषिभूमि अंकित होनी चाहिए थी इसलिए वादीगण अपनी 50–00 बीघा कृषिभूमि राजस्व रिकॉर्ड नक्शा व चुनड़ी में दुरूस्त व सही करवाने की घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु उक्त घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादीगण की उपरोक्त कृषिभूमि में वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की व जमाबंन्दी के मुताबिक खेत ख. नं. 956/430 तादादी 11.1655 हैक्टेयर तथा ख. नं. 1029/1015 तादादी 0.1999 हैक्टेयर, ख. नं. 1030/1015 तादादी 0.1839 हैक्टेयर तथा ख. नं. 954/430 तादादी 0.4932 हैक्टेयर, तथा ख. नं. 955/430 तादादी 0.4932 हैक्टेयर रोही मौजा सारायण तहसील तारानगर में नक्शा व चुनड़ी में 42–00 बीघा की जगह 50–00 बीघा कृषिभूमि दुरूस्त की नहीं किया जाता है तो वादीगण को अपूर्तिय क्षति होगी। प्रतिवादी सं. 1 जो कि उक्त कृषिभूमि का लैण्ड होल्डर है को उक्त नक्शा व चुनड़ी मय दुरूस्ती बाबत वादीगण द्वारा काफी बार व्यक्तिशः व अन्य लोगों से भी कहा व कहलवाया कि वादीगण के उक्त कृषिभूमि 50–00 बीघा तहसील कार्यालय में नक्शा व चुनड़ी मय दुरूस्त कर अंकित कर देवें मगर काफी दिन चक्कर कटवाने के बाद आखिर दिनांक 01.05.2023 को नक्शा व चुनड़ी उक्त कृषिभूमि दुरूस्त करने बाबत प्रतिवादी सं. 1 ने साफ इन्कार कर दिया व कहा कि न्यायालय का आदेश लेकर आओ लिहाजा यही तारीख वाद कारण तथा वादधार वादीगण को हासिल है। उपरोक्त कृषिभूमि की लैण्ड

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

होल्डर राजस्थान सरकार है तथा वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार को जरिये प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार तारानगर को पक्षकार वाद प्रतिवादी सं. 1 कायम किया गया है। उक्त कृषिभूमि प्रतिवादी सं. 2 के रहन होने के कारण प्रतिवादी सं. 2 को उक्त वाद में बतौर आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र में वर्णित कृषिभूमि श्रीमान जी के अधिकार क्षेत्र में है। अतः राजस्व नक्शा व चुनड़ी दुरूस्त के आदेश पारित करने में श्रीमान जी हर प्रकार से सक्षम है। ऐसे में वाद पत्र श्रीमान जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

इस प्रकार वादीगण ने दावा पेश कर निवेदन है किया है कि घोषित व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे कि ख. नं. 956/430 तादादी 11.1655 हैक्टेयर तथा ख. नं. 1029/1015 तादादी 0.1999 हैक्टेयर, ख. नं. 1030/1015 तादादी 0.1839 हैक्टेयर तथा ख. नं. 954/430 तादादी 0.4932 हैक्टेयर, तथा ख. नं. 955/430 तादादी 0.4932 हैक्टेयर रोही मौजा सारायण तहसील तारानगर में स्थित है उक्त खसराजात की कृषिभूमि का राजस्व नक्शा व चुनड़ी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों की भूलवश सही दर्ज न कर उक्त कृषिभूमि राजस्व नक्शा व चुनड़ी में 50–00 बीघा के स्थान पर 42–00 बीघा कृषिभूमि दर्ज कर दी गई जिसे राजस्व नक्शा व चुनड़ी में 42–00 के स्थान पर 50–00 बीघा कृषिभूमि दुरूस्त व घोषणा करने का अनुतोष चाहा है।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार तारानगर को मौका व रिकार्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से मौका रिपोर्ट दिनांक 08.02.2024 को प्राप्त हुई जिसे मिसल शामिल किया गया। राजपैरोकार को जबावदावा हेतु बार–बार समय दिया गया। किन्तु उनके द्वारा जवाब दावा पेश नही किया गया। जिसके पश्चात वादी के साक्ष्य करवाये गये। वादी रावतनाथ की ओर से मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र दिनांक 04.06.2025 को प्रस्तुत किया गया तथा इनके बयान पीडब्लू 1 दिनांक 05.06.2025 को करवाये गये। वकील वादी ने ओर बयान नही करवाना चाहा।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया

वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के क्रम में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक एलआर/596 दिनांक 21.03.2024 के संलग्न भू–अभिलेख निरीक्षक वृत रेड़ी की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा "एनेक्चर ए" का अवलोकन किया गया। मुताबिक उक्त रिपोर्ट के रोही ग्राम सारायण के खसरा नंबर 953/430 तादादी 0.4932 है., खसरा नंबर 954/430 तादादी 0.4932 है., खसरा नंबर 955/430 तादादी 0.4932 है. व खसरा नंबर 956/430 तादादी 11.1655 है. कुल रकबा 12.6451 हैक्टेयर(50 बीघा) राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

तरमीम में उक्त खसरे का रकबा 42–00 बीघा है। वादी द्वारा जमाबन्दी में अंकित रकबे को ही राजस्व नक्शे में अंकित करवाने का निवेदन किया है। जिसको भू.अ.निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 06.02.2024 द्वारा प्रमाणित किया है तथा जरिये साक्ष्य भी उक्त तथ्य प्रमाणित पाये गये है।

—::आदेश::—

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भू. अ.निरीक्षक रेड़ी की रिपोर्ट दिनांक 06.02.2024 के अनुसार रोही ग्राम सारायण के खसरा नंबर 953/430 तादादी 0.4932 है., खसरा नंबर 954/430 तादादी 0.4932 है., खसरा नंबर 955/430 तादादी 0.4932 है. व खसरा नंबर 956/430 तादादी 11.1655 है. कुल रकबा 12.6451 हैक्टेयर की तरमीम ''एनेक्चर ए'' के अनुसार राजस्व नक्शे में करे। ''एनेक्चर ए'' निर्णय का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
तारानगर (चूरू)